संख्या- 205 / 2026 / 2322 /चार-2026- 1657624

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग लखनऊ : दिनांक 02 सितम्बर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ को गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **प्रथम किश्त** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1240/सं0नि0-20(भा0सं0सं0)/2020-21 दिनांक 11 अगस्त, 2026 एवं भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या -735/भा0सं0वि0वि0-2(4)/2025 दिनांक 30 जुलाई, 2026 व पत्र संख्या -85/बी0एस0वी0-2(4)/2025 दिनांक 13 अप्रैल, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में गैर वेतन मद की प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने का अनुरोध करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में गैर वेतन मद के अंतर्गत स्वीकृत बजट प्राविधान रू0 900.00 लाख के सापेक्ष प्रस्तावित कार्यों की कार्य योजना निम्नवत् उपलब्ध करायी गयी है:-

वार्षिक कार्य योजना

(रू0 लाख में)

क्रम	मद	धनराशि	औचित्य
1	कार्यालय व्यय	30.00	विश्वविधालय के प्रशासकीय एवं शैक्षिक कार्यों की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन हेतु यथा सफाई सामग्री, विद्युत सामग्री, डाक व्यय, कार्यालय में स्थापित मशीनों / उपकरणों का अनुरक्षण, ग्रीष्म और शीत कालीन व्यय आदि संबंधित व्यय हेतु रू0 30,00,000/- मात्र का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।
2	जलकर / गृहकर	3.00	विश्वविद्यालय के जलकर / जल प्रभार थाय से संबधित कार्यों हेतु रू0 3,00,000/- मात्र का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।
3	लेखन सागग्री	10.00	विश्वविद्यालय के उपयोगार्थ फार्मों की छपाई और अन्य लेखन सामग्री आदि हेतु रु0 10,00,000/- मात्र का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।
4	टेलीफोन	3.00	विश्वविद्यालय में सेल्युलर फोन, ब्राडवैण्ड (इन्टरनेट कनेक्शन) आदि पर होने वाले व्यय हेतु रू0 3,00,000/- मात्र का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।
5	विविध व्यय	200.00	विश्वविद्यालय शिक्षण सत्र 2026-27 में शिक्षण कक्षों हेतु दरी, चादनी, तख्त एवं पर्दो आदि के क्रय हेतु विश्वविद्यालय के कुछ प्रकरण न्यायालय में विचारधीन होने के कारण वादों संबंधित व्यय हेतु विश्वविद्यालय के स्तर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
https://shasanadesh

			को बनाये रखने हेतु अतिथि अध्यापकों से शिक्षण कार्य संबंधी मानदेय, अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अन्य विविध कार्यों हेतु रू0 2,00,00,000/- मात्र का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।
6	सांस्कृतिक कार्यक्रम	150.00	विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों यथा भातखण्डे जयंती, दीक्षांत समारोह, संगीत प्रतियोगिता, मासिक संगीत संध्या आदि कार्यक्रमों पर कुल व्यय हेतु रू0 1,50,00,000/- मात्र का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।
7	विद्युत	30.00	विश्वविद्यालय के विद्युत व्यय हेतु रू0 30,00,000/- मात्र का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।
8	पारिश्रमिक	1.00	विश्वविद्यालय में पूर्व से कार्यरत नियत की तृतीय श्रेणी का व्यय हेतु रू0 1,00,000/- मात्र का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।
9	अनुरक्षण	50.00	विश्वसिधालय के निर्माण कार्य, मशीनें और उपकरणों आदि के अनुरक्षण व्यय हेतु रु0 50,00,000/- मात्र का अनुमानित व्यय प्रस्तावित्त है।
10	सेमिनार / वर्कशाप	30.00	विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लाभार्थ सेमिनार का आयोजन किया जाना है। जिस पर रू0 30,00,000/- मात्र का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।
11	प्रकाशन	5.00	विश्वविद्यालय के प्रकाशन संबंधी कार्य हेतु रु0 5,00,000/- मात्र का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।
12	उपकरण	27.00	विश्वविद्यालय में रिकार्डिंग रूम हेतु मिक्सर, कम्प्यूटर, स्पीकर आदि उपकरण, शिक्षण कक्षो एवं प्रशासनिक कार्यों हेतु कम्प्यूटर, प्रिन्टर, ए.सी., फोटोकापी मशीन, सी.सी.टी.वी. कैमरे, आर.ओ. वाटरकूलर, जेनरेटर, इन्वर्टर आदि उपकरण क्रय किया जाना है जिस पर रू0 27,00,000/-मात्र का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।
13	पुस्तक क्रय	5.00	विश्वविद्यालय में अध्यनरत विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु नवीन पुस्तकें क्रय करने हेतु रु0 5,00,000/- मात्र का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।
14	विज्ञापन	5.00	विश्वविद्यालय के प्रवेश, परीक्षा एवं अन्य सूचनायें प्रकाशित किया जाने हेतु रु0 5,00,000/- मात्र का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।
15	परीक्षा	10.00	विश्वविद्यालय की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के आयोजन हेतु रू0 10,00,000/- मात्र का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।
16	वाद्ययंत्र क्रय	25.00	विश्वविद्यालय में उपलब्ध कई वाद्ययंत्र पुराने एवं जीर्ण शीर्ण स्थिति में होने के कारण नये वाद्ययंत्रों के क्रय किया जाना जिस पर रू0 25,00,000/- मात्र का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।
17	आउटसोर्सिंग	200.00	विश्वविद्यालय की सुरक्षा हेतु सुरक्षागार्डों एवं प्रशासकीय कार्य हेतु कर्मचारी, सफाईकर्मी की सेवाये आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त किया जाना है जिस पर रू0 2,00,00,000/- मात्र का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।
18	साज-सज्जा	10.00	विश्वविद्यालय के स्तर को बनाये रखे जाने हेतु शिक्षण कक्षों एवं प्रशासनिक भवन की साज-सज्जा संबंधी व्यय हेतु रु0 10,00,000/- मात्र का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।
19	टैक्सी व्यय	30.00	विश्वविद्यालय में कुलपति, कुलसचिव, सलाहाकार एवं वित्त अधिकारी हेतु वाहन व्यवस्था संबंधी व्यय हेतु रू0 30,00,000/- मात्र का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।
20	फर्नीचर	20.00	विश्वविद्यालय के शिक्षण कक्षो एवं कार्यालय हेतु फर्नीचर क्रय हेतु रू0 20,00,000/- मात्र का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।
21	वेबसाइट	5.00	विश्वविद्यालय की वेबसाइट संबंधी व्यय हेतु रू0 5,00,000/- मात्र का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22	चेयर की स्थापना	51.00	शैक्षणिक गतिविधिया में अनुसंधान के साथ अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान की वृद्धि में योगदान, संगीत की बारीकियों का प्रचार-प्रसार एवं विभूतियों से संबंधित सामग्रियों का संग्रह कर शोधार्थियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य के लिये महान विभूतियों के लिये चेयर की स्थापना हेतु रू0 51.00 लाख का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।
	योग-	900.00	(रूपये नौ करोड़ मात्र)

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार कार्ययोजना पर अनुमोदन प्रदान करते हुए, वित्तीय वर्ष 2026-27 में भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) आयोजनेत्तर पक्ष में **प्रथम किश्त** के रूप में **रू0 225.00 लाख (रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध</u>

(1) भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में हुई आय एवं व्यय का अद्यतन विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक-28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि बजट के सबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ का होगा।

(6) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक-28-मार्च, 2026 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आगामी किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाना होगा कि विगत वर्षों में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष एवं अप्रयुक्त शेष नहीं है।

(9) भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ को पूर्व वर्षों में स्वीकृत /अवमुक्त अनुदान की धनराशि से सम्बन्धित स्थानीय लेखा परीक्षा/आडिट रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय से संबंधित बिल / बाउचर्स एवं सम्पूर्ण लेखा-जोखा सुरक्षित रखा जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 2,25,00,000/- (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखाशीर्षक** 2205001011800 भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक-28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या- 205 /2026/ 2322 (1) /चार-2026- 1657624 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- कुलसचिव, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।